

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 60/2015	धारा अन्तर्गत 53 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 29.07.2024
समक्ष : श्री राजगोपाल गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:-श्री		अभिभाषक प्रतिवादी:-

वाद शीर्षक

उनवान

- ईश्वरलाल पुत्र जमनालाल
- बृजमोहन पुत्र जमनालाल
- अशोक पुत्र जमनालाल
- घीसी बाई पुत्री जमनालाल
- अनिता बाई पुत्री जमनालाल
- प्रेमबाई बेवा जमनालाल जातियान मेहर निवासीगण फलिया तहसील छबडा जिला बारां राज0.

बनाम

- बाबूलाल पुत्र रामप्रसाद जाति मेहर निवासी फलिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
- श्रीलाल पुत्र रामप्रसाद जाति मेहर निवासी फलिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
- राज0 सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:-

मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी वाके ग्राम फलिया तहसील छबडा का पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकवा	लगान	दिशा
1. अनीता बाई पुत्री, अशोक, ईश्वरलाल पुत्र, घीसीबाई पुत्री बृजमोहन, पुत्र जमनालाल जाति मेहर सा0देह0हिस्सा 1/5 1/5 रहन बदस्तुर	113	0.4300	0.62	-
	624	0.4426	2.72	-
	50	0.3984	2.45	-
	किता -3	1.2710	6.60	
2. बाबूलाल पुत्र रामप्रसाद, श्रीलाल पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/2 1/2 जाति मेहर सा0देह	113/1	0.4300	1.44	-
	624/1	0.4426	2.73	-
	50/1	0.3983	2.46	-
	किता -3	1.2709	6.63	
3 अनीता बाई पुत्री, अशोक, ईश्वरलाल पुत्र घीसी पुत्री बृजमोहन पुत्र जमनालाल हिस्सा 1/10 1/10 जाति मेहर बाबूलाल, श्रीलाल पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/4 1/4 जाति मेहर सा0देह	114	0.0379	-	-

उपरोक्तनुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दारामद करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार रु0 का व्ययानुतोष द्वारा को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक .29.07.2024 को निर्गत किया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला (राज0)

क्र.सं.	व्यय मद	व्यानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

